



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274625
CG-DL-E-20072026-274625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3785]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

No. 3785]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

का.आ. 3951(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, (NH-919) के कि.मी. 27.3 से कि.मी. 29 तक जिला राजस्व अधिकारी, नूंह, (NH-919) के कि.मी. 25.3 से कि.मी. 27.3 तक जिला राजस्व अधिकारी, गुरुग्राम तथा (NH-919) के कि.मी. 29 से कि.मी. 31.4 तक जिला राजस्व अधिकारी, गुरुग्राम, हरियाणा राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH- 919 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 27.3 से कि.मी 29 तक	हरियाणा	नूहं	इंद्री	1 आटा 2 रामपुर 3 उडाका
2	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 25.3 से कि.मी 27.3 तक	हरियाणा	गुरुग्राम	सोहना	1 रायपुर
3	जिला राजस्व अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH- 919 के कि.मी 29 से कि.मी 31.4 तक	हरियाणा	गुरुग्राम	सोहना	1 लाखुवास

[फा. सं. PWD/PSR/919/Sohna/001]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2026

S.O. 3951(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 27.3 to 29 of DRO Office, Nuh (NH- 919) in the State of HARYANA, 25.3 to 27.3 of DRO office, Gurugram (NH- 919) in the State of HARYANA, 29 to 31.4 of DRO office, Gurugram (NH- 919) in the State of HARYANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH- 919 in the State of HARYANA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	District Revenue Officer	NH- 919 KM 27.3 TO KM 29	HARYANA	Nuh	Indri	1 Atta 2 Rampur 3 Udaka

2	District Revenue Officer	NH- 919 KM 25.3 TO KM 27.3	HARYANA	Gurugram	Sohna	1	Raipur
3	District Revenue Officer	NH- 919 KM 29 TO KM 31.4	HARYANA	Gurugram	Sohna	1	Lakhuwas

[F. No. PWD/PSR/919/Sohna/001]

SHAIKH AMINKHAN, Director